



2026:AHC:5657

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 206/2026

सलमान

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता :- नरेंद्र कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता :- जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का नाम एफ.आई.आर. में दो अन्य व्यक्तियों के साथ अंकित है। एफ.आई.आर. में आरोप है कि सभी नामित अभियुक्तों, जिनमें प्रार्थी भी शामिल है, ने उसे कोई नशीला पदार्थ देकर उसके साथ बलात्कार किया तथा घटना का वीडियो भी बनाया। इसके पश्चात सभी अभियुक्तों ने उसे ब्लैकमेल कर कई बार उसके साथ बलात्कार किया। साथ ही उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया गया। बी.एन.एस.एस. की धारा 180 एवं 183 के अंतर्गत दर्ज अपने बयानों में पीड़िता ने प्रार्थी के विरुद्ध अपने आरोपों को दोहराया है। एफ.आई.आर. में घटना की तिथि एवं समय का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज बयान में पीड़िता ने बताया है कि मई, 2024 में प्रार्थी ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। इस प्रकार, वर्ष 2024 में कथित घटना के संबंध में एफ.आई.आर. दिनांक 12.09.2025 को दर्ज की गई है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिससे यह स्पष्ट है कि एफ.आई.आर. दर्ज करने में अत्यधिक विलंब हुआ है और इस विलंब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। विवेचना के दौरान ऐसा कोई वीडियो बरामद नहीं हुआ है। चिकित्सीय परीक्षण में पीड़िता के शरीर पर कोई आंतरिक या बाह्य चोट नहीं पाई गई, जिससे यह सिद्ध होता है कि चिकित्सीय साक्ष्य जबरन बलात्कार के आरोप का समर्थन नहीं करता है। अतः यह तर्क दिया गया है कि यह झूठा फँसाने का मामला है और प्रार्थी को दुर्भावना एवं गलत मंशा के चलते असत्य एवं निराधार आरोप लगाकर फँसाया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की असत्यता को दर्शाने हेतु अन्य कई तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। वे परिस्थितियाँ भी बताई गई हैं, जिनके कारण, अधिवक्ता के अनुसार, प्रार्थी को झूठा फँसाया गया है। यह भी आश्वासन दिया गया है कि प्रार्थी विधि की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करेगा, न्यायालय द्वारा आवश्यक होने पर प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाए जाने वाली सभी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। आगे यह भी कहा गया है कि प्रार्थी दिनांक 13.09.2025 से जेल में निरुद्ध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रार्थी की जमानत प्रार्थना का यह कहते हुए विरोध किया कि विचारण से पूर्व चरण में प्रार्थी की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः उसे किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

4. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति तथा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय का विचार है कि प्रार्थी ने जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

5. अतः, प्रार्थी सलमान को मुकदमा अपराध संख्या 148/2025, धारा 70(1), 123, 351(3), 352 बी.एन.एस. तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5/(3), थाना कंपिल, जनपद फर्रुखाबाद में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i) प्रार्थी अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) प्रार्थी अभियोजन साक्षियों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
 - iii) प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा।
 - iv) प्रार्थी उस अपराध के समान कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है या संदेह के अधीन है।
 - v) प्रार्थी किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य उजागर करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ हो।
6. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को विधि के अनुसार प्रार्थी की जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

8 जनवरी, 2026

मुस्तकीम